न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 122/2016

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट :– |
|---|---|---|
| 1. हस्तुदेवी पत्नी मगाराम जाति मेघवाल निवासी दातिवाडा, तहसील बाली, जिला पाली।<br>2. मांगीदेवी पुत्री मगाराम पत्नी हजाराम जाति मेघवाल, निवासी दांतिवाडा, तहसील बाली जिला पाली। | | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली जिला पाली। |

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :–

श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

**–: निर्णय :–**

दिनांकः–30.08.2019

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध संख्या 76/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांटगण ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुराने खसरा संख्या 03 में रकबा 10 बीघा कृषि भूमि मगाराम को दिनांक 16.04.1976 को आवंटन हुई थी। उसके पश्चात दिनांक 15.12.1978 को नामान्तरण संख्या 01/11 स्वीकृत हुआ। तब से मगाराम का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु द्वितीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सेटलमेंट में अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया, जबकि अपीलांट उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी के नये खसरा संख्या 02 व 04 है। जिस पर मगाराम का कब्जा है। अत वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करोन का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट के पिता का वक्त आवंटन से वादग्रस्त आराजी के पुराने खसरा नंबर 03 के नये खसरा नंबर 02 व 04 पर निरन्तर कब्जा काश्त है। किन्तु सेटलमेंट अधिकारियो ने बिना किसी सक्षम आदेश के मगाराम का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया। जबकि सेटलमेंट विभाग को राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन करने एवं रद्धोबदल करने का कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मगाराम का देहान्त दिनांक 30.05.2016 को हो चुका था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मगाराम के वारिसान यानि अपीलांट को पक्षकार बनाये कैम्प कोर्ट में मगाराम की अनुपस्थिति दर्शाते हुए बिना अपीलांटगण को सुनवाई का जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त फरमाया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी की किस्म गोचर है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है। जिससे उक्त किस्म की आराजी के खातेदारी अधिकार कानूनन प्रदान नहीं किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावलनी पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलांटगण ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुराने खसरा संख्या 03 में रकबा 10 बीघा कृषि भूमि मगाराम को दिनांक 16.04.1976 को आवंटन हुई थी। उसके पश्चात दिनांक 15.12.1978 को नामान्तरण संख्या 01/11 स्वीकृत हुआ। तब से मगाराम का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु द्वितीय सेटलमेंट में अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जबकि अपीलांट उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी के नये खसरा संख्या 02 व 04 है। जिस पर मगाराम का कब्जा है। अत वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करोन का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण के पिता व पति मगाराम ने वादग्रस्त आराजी के संबध खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया। वकील अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष मगाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, उक्त मृत्यु के अनुसार मगाराम का देहान्त दिनांक 30.05.2016 हो चुका है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय 22.06.2016 को पारित किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध जैर अपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मगाराम का देहान्त होने के पश्चात अपीलांटगण को पक्षकार नहीं बनाया गया। जिससे अपीलांटगण को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध बिना अपीलांटगण को पक्षकार बनाये, सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध संख्या 76/2010 में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली